जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.11.2023

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल बरामद।

आज दिनांक 07.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल बरामद किया गया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनाँक 03/11/2023 को श्री सोमपाल सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सिसौली जनपद मुजफ्फरनगर का प्लान्ट ग्राम बलवा में कृष्णा कांस्टेलेशन प्रा0लि0 के नाम से स्थित है, जिस पर रविन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार तौल लिपिक के पद पर कार्यरत है जिसके द्वारा ट्रक ड्राईवर राशिद एवं जाहिद के साथ मिलकर सीमेंट, कोरसेंट, रोड़ी व तारकोल के कूटरचित दस्तावेज (चालान) तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर गबन करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर नामजद 12 अभियुक्तों के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 532/2023 धारा 406/408/420/467/468/471/120बी भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

रविन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सैफपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त मोबाईल (सैमसंग गैलेक्सी A-33)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.है0का0 राहुल सिवाच थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.है0का0 विजय कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.10.2023 को श्री शहजाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली की दुकान का ताला तोड़कर एक छोटा कांटा , एक बडा इलैक्ट्रोनिक कांटा , एक कुल्हाडी व छोटा सिलेण्डर आदि अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी की घटना में शामिल 02 चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सालिक उर्फ सारिक पुत्र स्व0 सालिम उर्फ बोग निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

2.शेरा उर्फ शमशेर सिंह पुत्र स्व0 कृपाल सिंह निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शेरा उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 83/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किया हुआ सामान (बडा इलैक्ट्रोनिक कांटा, छोटा लोहे का कांटा, छोटा गैस सिलेन्डर व कुल्हाडी) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री संजय राणा थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री नरेशपाल थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 बब्लू थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामदः-

आज दिनांक 07.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

प्रवेज पुत्र नसीम निवासी ग्राम सलेमपुर रोड कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 12 ग्राम स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 आदित्य कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 कर्मजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

वर्ष 2021 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मेहरबान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बोडपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 293/2021 धारा 363,366, 376(3) भादवि व 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.11.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि व धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनिमय में आजीवन कारावास व 10000-10000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 04-04 माह का अतिरिक्त कारावास , धारा 363,366 भादवि में 05-05 वर्ष का कारावास व 5000-5000/- रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मेहरबान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बोडपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे SPEL प्रोग्राम के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सभागार कक्ष पुलिस लाईन शामली में गोष्ठी का आयोजन कर स्कूल कॉलेज के छात्र/छात्राओं को जागरुक किया गया।

आज दिनांक 07.11.2023 को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे Student Police Experiential Learning (SPEL) प्रोग्राम के अन्तर्गत सभागार कक्ष पुलिस लाईन शामली में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा गोष्ठी में उपस्थित वी0वी0पी0जी कॉलेज, वि0 सिंह पथिक कॉलेज कैराना, रा0म0पी0जी0 कॉलेज कांधला, सेन्ट आर0सी0 कॉलेज ऑफ एजूकेशन शामली व सेन्ट आर0सी0 कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन के प्रोफेसर, अध्यापक व छात्र/छात्राऐं एवं समस्त थाने से व0उ0नि0 व अन्य पुलिसकर्मियों को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के बारे में सम्बोधित करते विस्तृत जानकारी दी गयी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को थानास्तर पर 20 दिवस व कार्यालय स्तर पर 10 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन कर अनुभवात्मक सिखायी, संज्ञानात्मक व लोक कौशल में सुधार और साथ ही साथ वे कानून व आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक अनुसंधान, यातायात नियन्त्रण, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, कानून व्यवस्था इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शामली, श्री ओ0पी0 सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI